समुद्र-स्तर वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली घोषणा

दिनांकित प्रसंग: 24 सितंबर 2026 — UNGA 81वें सत्र की उच्चस्तरीय बैठक में समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली घोषणा के मसौदे को स्वीकृति — PCS Mantra मेन्स श्रृंखला, अगस्त–अक्टूबर 2026 कवरेज

खबरों में क्यों

24 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (81वां सत्र) की उच्चस्तरीय बैठक ने **समुद्र-स्तर वृद्धि (SLR) पर पहली राजनीतिक घोषणा के मसौदे** को स्वीकृति दी। समूहन (silence procedure) से सहमत अंतिम मसौदा पहले ही **20 अगस्त 2026** को भेजा गया था। इसके बाद महासभा ने **12 अक्टूबर 2026** को प्रस्ताव अपनाकर घोषणा का अनुमोदन किया। मसौदे पर सहमति, उच्चस्तरीय बैठक की स्वीकृति और महासभा का औपचारिक अनुमोदन अलग चरण हैं। यह जलवायु-प्रभावों में एक अस्तित्वगत खतरे पर वैश्विक सहमति का महत्त्वपूर्ण कदम है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

घोषणा के प्रमुख पहलू

बहु-स्तरीय खतरे की मान्यता: तटीय बाढ़, लवणीकरण, अपरदन और कुछ द्वीप-राज्यों के अस्तित्व का प्रश्न। **अंतरराष्ट्रीय कानून:** UNCLOS के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र और उनके अधिकारों की स्थिरता — विशेषकर छोटे द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के लिए। **अनुकूलन और वित्त:** तटीय सुरक्षा-संरचना, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र और जलवायु-वित्त तक पहुँच। **डेटा और विज्ञान:** समुद्र-स्तर वृद्धि की निगरानी, मॉडलिंग और सूचना-साझेदारी।

PCSMANTRA.COM

भारत के लिए महत्व

तटीय जनसंख्या: भारत की लंबी तटरेखा और सागर-महानगर (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) जोखिम में। **सुंदरबन:** लवणीकरण और अपरदन का तीव्र प्रभाव। **द्वीप-क्षेत्र:** अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की रणनीतिक-पारिस्थितिक संवेदनशीलता। **नीति-अनुकूलन:** तटीय नियमन (CRZ), आपदा-प्रबंधन और बुनियादी ढाँचा-योजना में SLR का समावेश आवश्यक। (प्रकाशित रिपोर्ट में भारत का संदर्भ भी दिया गया है।)

विश्लेषण

घोषणा **राजनीतिक प्रतिबद्धता** है — कठोर बाध्यकारी कानून नहीं; इसलिए इसका वजन क्रियान्वयन-तंत्र, वित्त-प्रवाह और भविष्य के वैधानिक विकास (जैसे राज्य-प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग के अध्ययन) पर टिकेगा। फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व अत्यधिक है: SLR को जलवायु-वार्ता के केंद्र में लाना।

निष्कर्ष

पहली UNGA घोषणा समुद्र-स्तर वृद्धि को वैश्विक एजेंडे में स्थायी स्थान देती है। भारत के लिए यह अनुकूलन-नीति, तटीय नियमन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग — तीनों मोर्चों पर तैयारी का संकेत है।

मुख्य शब्दावली

- **समुद्र-स्तर वृद्धि (SLR)** – ग्लोबल वार्मिंग से महासागर के तापीय विस्तार और हिमनद पिघलन से औसत समुद्र-स्तर में वृद्धि।
- **SIDS** – छोटे द्वीप विकासशील देश — SLR के प्रति अत्यंत संवेदनशील।
- **UNCLOS** – संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि — समुद्री क्षेत्रों और अधिकारों का कानूनी ढांचा।
- **समूहन प्रक्रिया (silence procedure)** – आपत्ति-अवधि में कोई आपत्ति न आने पर प्रस्ताव पारित माना जाना।
- **CRZ** – तटीय नियमन क्षेत्र — तटीय विकास-गतिविधियों के नियमन का भारतीय तंत्र।

अभ्यास प्रश्न (मेन्स)

"समुद्र-स्तर वृद्धि पर UNGA की पहली घोषणा अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय तटीय शासन — दोनों के लिए नया आधार है।" इस कथन की परख कीजिए और भारत के अनुकूलन-मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत

- संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष – Final SLR Declaration (silence procedure से पारित)
- संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति – 24 सितंबर 2026: उच्चस्तरीय बैठक (SEA2254)
- इंडियन एक्सप्रेस – UNGA SLR घोषणा और भारत का कोण
- महासभा अध्यक्ष: बैठक और दस्तावेज-सूची; अंतिम मसौदा 20 अगस्त 2026 को भेजा गया
- 6 अक्टूबर का पत्र: 24 सितंबर की स्वीकृति और 12 अक्टूबर को महासभा के विचारार्थ प्रस्तुति
- संयुक्त राष्ट्र का 12 अक्टूबर 2026 पूर्ण बैठक अभिलेख: घोषणा के अनुमोदन वाला प्रस्ताव अपनाया गया

PCSMANTRA.COM